महत्वपूर्ण / गोपनीय

पत्र संख्या–२५५ / xxvii(7) / 2012

प्रेषक

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   वन विभाग,
2. प्रमुख वन संरक्षक,
   देहरादून,
   उत्तराखण्ड।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ

देहरादूनः दिनांकः २२ नवम्बर,2012

विषयः–वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 का परिशिष्ट–4

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–7 परिशिष्ट–4 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकार उनके समक्ष अंकित अधिकारियों को प्रतिनिहित करते है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन, शासनादेश संख्याः 562 / xxvii(7) / 2010 दिनांकः 24 मई, 2010 के अनुसार हो रहेंगे।

ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और वित्तीय नियम संग्रह में संशोधन यथासमय किये जाएगें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

पत्र संख्याः–२५५ / xxvii(7) / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), देहरादून उत्तराखण्ड।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), देहरादून उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टैट इन्टरनल आडिटर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त।

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाऐं	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
1	भण्डार, औजार तथा संयत्र का क्रय	1– अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक	1– ₹10.00 लाख तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य ₹2.00 लाख से अधिक नहीं होगा।	–मात्र विभागीय विशिष्ट उपकरणों के कय हेतु	पूर्ण अधिकार
		2– वन संरक्षक/निदेशक	2– ₹ 5.00 लाख तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य ₹1.00 लाख से अधिक नहीं होगा।	–बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन। –कय प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार होगी। – वन संरक्षक/उंप वनसंरक्षक द्वारा औजारों तथा सयंत्रों का कय एक वर्ष में प्रतिनिहित सीमा से अधिक न किया जायेगा।	2– ₹1.00 लाख की सीमा तक। – वन संरक्षक/उप वनसंरक्षक द्वारा औजारों तथा सयंत्रों का कय एक वर्ष में प्रतिनिहित सीमा से अधिक न किया जायेगा।
		3– उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी	3– ₹ 2.00 लाख तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य ₹50000/– से अधिक नहीं होगा।		3– ₹20,000 की सीमा तक। – वन संरक्षक/उप वनसंरक्षक द्वारा औजारों तथा सयंत्रों का कय एक वर्ष में प्रतिनिहित सीमा से अधिक न किया जायेगा।
2	निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार तम्बुओं का क्रय।	1– वन संरक्षक/निदेशक	1– पूर्ण अधिकार	–बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन –कय प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार होगी।	1– पूर्ण अधिकार
		2– उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी	2– ₹ 20.00 हजार की सीमा तक।		2– ₹ 05.00 हजार की सीमा तक।
3	वनों के प्रशासन एवं विभाग के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संविधाओं, प्रतिभूति, अनुबन्ध पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करना।	1– प्रमुख वन संरक्षक		–न्याय विभाग की विज्ञप्ति संख्याः 1932 दिनांकः 15 जुलाई, 1977 के अनुसार। –न्याय विभाग द्वारा समय– समय पर जारी आदेशों का पालन किया जायेगा।	न्याय विभाग की विज्ञप्ति संख्याः 1932 दिनांकः 15 जुलाई, 1977 के अनुसार।
		2– अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक			
		3– वन संरक्षक/निदेशक			
		4– उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी			

4	सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु निविदाऐं स्वीकार करना।	1– प्रमुख वन संरक्षक	1– ₹60.00 लाख तक	–बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन –क्रय प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार होगी।	1– ₹30.00 लाख तक की सीमा।
		2– अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक	2– ₹30.00 लाख तक		2– ₹10.00 लाख तक की सीमा।
		3– वन संरक्षक / निदेशक	2– ₹20.00 लाख तक		2– ₹05.00 लाख तक की सीमा।
		4– उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी	4– ₹10.00 लाख तक		4– ₹1.00 लाख तक की सीमा।
		5– सहायक वन संरक्षक	5– ₹1.00 लाख तक		5– ₹10,000 / – तक की सीमा।
5	फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया / सर्वे ऑफ इण्डिया से वनों के नक्शे तैयार करने / मुद्रण कराने के सम्बन्ध में व्यय स्वीकृत करना।	प्रमुख वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार। (आय–व्ययक की सीमा तक)		₹15,000 / – तक की सीमा।
6	आपराधिक अपराधों में अभियोजन हेतु अधिवक्ता फीस पर हुए व्यय की स्वीकृति देना	1– प्रमुख वन संरक्षक	1– प्रत्येक मामले में ₹20000 / – तक	न्याय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का पालन किया जायेगा।	1– प्रत्येक मामले में ₹5000 / – तक की सीमा।
		2– अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक	2– प्रत्येक मामले में ₹15000 / – तक		2– प्रत्येक मामले में ₹5000 / – तक
		3– वन संरक्षक / निदेशक	3– प्रत्येक मामले में ₹10000 / – तक		3– प्रत्येक मामले में ₹2500 / – तक की सीमा।
		4– उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी	4– प्रत्येक मामले में ₹5000 / – तक		4– प्रत्येक मामले में ₹1000 / – तक की सीमा।
7	(क) भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के अधीन प्राप्त प्रतिकर में से पारितोषिक भुगतान की प्राधिकृत करने का अधिकार	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 68 के अन्तर्गत मामलों को Compound करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी।	प्राप्त प्रतिकर का 10 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि इसकी अधिकतम सीमा ₹1000 / – से अधिक न हो।		प्राप्त प्रतिकर का 10 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि इसकी अधिकतम सीमा ₹500 / – से अधिक न हो।
	(ख) भारतीय वन वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 54 के अधीन पारितोषक भुगतान को प्राधिकृत करने का अधिकार।	भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 54 के अन्तर्गत मामलों को Compound करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी।	भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथासंशोधित वर्ष 2003 की धारा 60–ए के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की सीमा तक, जो ₹25000 / – से अधिक न हो।		भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथासंशोधित वर्ष 2003 की धारा 60–ए के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की सीमा तक, जो ₹25000 / – से अधिक

					न हो।
8	वन अपराध को रोकने में सराहनीय एवं असाधारण कार्य के लिए (जिसमें जान जोखिम में डाली गयी हो) वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी को पारितोषिक दिये जाने की स्वीकृति देना।	1– वन संरक्षक / निदेशक	1– प्रत्येक मामले में ₹5000 / – की सीमा तक, किन्तु एक व्यक्ति को ₹1000 / – से अधिक नहीं।		1– प्रत्येक मामले में ₹2500 / – की सीमा तक, किन्तु एक व्यक्ति को ₹500 / – से अधिक नहीं।
		2– उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी।	2– प्रत्येक मामले में ₹2000 / – की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को ₹500 / – से अधिक नहीं।		2– प्रत्येक में ₹1000 / – की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को ₹250 / – से अधिक नहीं।
9	किसी सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति, जिसने आग बुझाई हो अथवा अग्नि शमन में महत्वपूर्ण सहायता दी हो, को पारितोषिक की स्वीकृति देना।	1– वन संरक्षक / निदेशक	1– प्रत्येक मामले में ₹5000 / – की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को ₹1000 / – से अधिक नहीं।		1– प्रत्येक मामले में ₹2500 / – की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को ₹500 / – से अधिक नहीं।
		2– उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी।	2– प्रत्येक मामले में ₹2000 / – की सीमा तक, किन्तु एक व्यक्ति को 500 / – से अधिक नहीं।		2– प्रत्येक मामले में ₹1000 / – की सीमा तक, किन्तु एक व्यक्ति को ₹ 250 / – से अधिक नहीं।
10	(क) वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करना।	1– प्रमुख वन संरक्षक	1– पूर्ण अधिकार	–बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन –क्रय प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार होगी।	1– पूर्ण अधिकार
		2– मुख्य वन संरक्षक	2– ₹20.00 लाख की सीमा तक		
		3– वन संरक्षक / निदेशक	3– ₹10.00 लाख की सीमा तक		3– ₹2.00 लाख की सीमा तक
		4– उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी	4– ₹5.00 लाख की सीमा तक		4– ₹1.00 लाख की सीमा तक
	(ख) राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों, प्राणी उद्यानों, वन पार्कों / मनोरंजन पार्कों तथा अन्य स्थानों में विभागीय जलपान गृहों / रेस्टोरेन्ट को किराये पर उठाने हेतु टेण्डर स्वीकृत करना।	सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र के वन संरक्षक / निदेशक	पूर्ण अधिकार		पूर्ण अधिकार